UPMO010069682023

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–4, मुरादाबाद।

पीठासीन अधिकारी–अंचल लवानियॉ (एच0जे0एस0)–यू0पी0–2411
विशेष सत्र परीक्षण संख्या –1078/2023
अपराध संख्या 3290/2020
धारा 135 विद्युत अधिनियम,
थाना एण्टी पॉवर थेफ्ट, जिला मुरादाबाद।

उत्तर प्रदेश राज्य

बनाम

गौरव पुत्र राजबहादुर उर्फ मुन्नू निवासी दौलत बाग, थाना नागफनी, जिला मुरादाबाद।

06–06–2026

पत्रावली पेश हुयी। अभियुक्त गौरव पिछले काफी लम्बे समय से अनुपस्थित चल रहा है।

पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि वर्तमान विशेष सत्र परीक्षण में अभियुक्त के सम्बन्ध में उसके विरूद्ध सम्मन पर सम्बन्धित थाना पुलिस द्वारा अवगत कराया गया कि अभियुक्त गौरव की मृत्यु दिनांक 26–06–2024 को हो चुकी है। थाना आख्या के समर्थन में सी0डब्लू0–1 के रूप मे उपनिरीक्षक नरेश कुमार का बयान अंकित किया गया है, साक्ष्य में कथन किया है कि अभियुक्त के मृत्यु प्रमाण पत्र में उसने पिता राजकुमार के नाम के स्थान पर अपनी पत्नी वर्षा का नाम अंकित है, गौरव की माता जी ने दो विवाह किये थे, पहले पति का नाम मुन्नू था तथा दूसरे पति का नाम राजबहादुर था गौरव का जन्म राजबहादुर से हुआ था लेकिन गौरव उपरोक्त के मृत्यु प्रमाण पत्र में अभिभावक के नाम के स्थान पर मृतक गौरव के सौतेले पिता मुन्नू व पत्नी वर्षा का नाम अंकित हैं। राजबहादुर अभियुक्त गौरव का सगा पिता है व मुन्नू अभियुक्त गौरव का सौतेला पिता है। थाना नागफनी की आख्या प्रदर्श–2 के साथ में नगर निगम मुरादाबाद का प्रमाण पत्र प्रदर्श–1 दाखिल किया गया है, जिसमें अभियुक्त गौरव की मृत्यु दिनांक 26–06–2024 को होना उल्लिखित किया गया है, जिससे यह स्पष्ट है कि गौरव पुत्र राजबहादुर उर्फ मुन्नू निवासी दौलत बाग, थाना नागफनी, जिला मुरादाबाद की मृत्यु हो चुकी है। अतः उसके विरूद्ध वाद कार्यवाही नियमानुसार उपशमित की जाती है।

पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि पत्रावली पर गौरव एकमात्र अभियुक्त है। अतः पत्रावली पर अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। अतः पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार की जाये। कार्यालय लिपिक अनुपालन करें।

(अंचल लवानियॉ)
विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या 4, मुरादाबाद।